न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – नरेन्द्र कुमार मीना, आर.जे.एस.
दीवानी वाद संख्या – 34/134/2015
सी0आई0एस0 संख्या – 322/2015

1. रामचंद्र पुत्र छोटूराम (मृतक)
1/1 महेश चन्द पुत्र स्व0 रामचन्द्र
1/2 नरेश पुत्र स्व0 रामचन्द्र
1/3 लक्ष्मी पुत्री स्व0 रामचन्द्र
1/4 सुमन देवी पुत्री स्व0 रामचन्द्र
1/5 भगोती देवी पत्नी स्व0 रामचन्द्र
2. बंशीराम पुत्र खांगलाराम
निवासीगण आगर तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज0।

. ...वादीगण

<u>बनाम</u>

1. राधेश्याम पुत्र घासीराम (मृतक)
1/1 राजकुमार पुत्र राधेश्याम (मृतक)
1/1 गुडडी देवी पत्नी स्व0 राजकुमार
1/2 पिंकी पुत्री स्व0 राजकुमार
1/3 प्रदीप पुत्र स्व0 राजकुमार
1/4 शिवम पुत्र स्व0 राजकुमार
1/2 राकेश पुत्र राधेश्याम
1/3 गोपीराम पुत्र राधेश्याम
1/4 मोहन पुत्र राधेश्याम
1/5 गिर्राज पुत्र राधेश्याम
1/6 सन्तोष पुत्री राधेश्याम
1/7 उमादेवी पत्नी राधेश्याम
निवासीगण आगर तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज0।

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश</u>

उपस्थिति –

1. श्री रामकरण जाट, अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री कौशल भारद्वाज, श्री प्रमोद सोनी अधिवक्ता प्रतिवादीगण ओर से।

<u>निर्णय</u> **दिनांक : 30.03.2026**

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत उपरोक्त शीर्षकाधीन वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण के मकान ग्राम आगर तहसील

थानागाजी में स्थित हैं। मकानात के सामने रास्ता है जो रास्ते की जमीन वादीगण की निजी खरीदशुदा है जिससे वादीगण के व उनके परिवार वालों के अलावा, अन्य किसी का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। रास्ते की हदूदअर्बा तरफ उत्तर पूरण मल लुहार का मकान, दक्षिण को नाला व बाद में प्रतिवादीगण की दुकान व खरीदशुदा जमीन व वादीगण के मकान, पूर्व को खाली जगह तथा पश्चिम को सडक थानागाजी से प्रतापगढ स्थित है। रास्ते के तरफ दक्षिण को नाला है। रास्ता व नाले की जगह, वादीगण की निजी खरीदशुदा है। चूंकि वादीगण के मकान के सामने पहाड का पानी आता है जो मकान वादीगण के सामने भर जाता था। अतः वादीगण ने अपने मकान के सामने पंचायत की मदद से नाला का निर्माण करवाया था। प्रतिवादीगण की दुकान का दरवाजा तरफ पश्चिम को है। तरफ उत्तर को कोई दरवाजा या खिडकी नहीं है। दुकान प्रतिवादीगण की 25 साल से अधिक समय की बनी हुई है। प्रतिवादीगण ने अपनी दुकान के पीछे जमीन खरीदी थी जिसका दरवाजा भी उत्तर की तरफ रहने का हक नहीं है। विक्रेता जिससे प्रतिवादीगण ने जमीन खरीदी है उन्होंने उत्तर को दरवाजा निकालने की इजाजत नहीं दी। प्रतिवादीगण को वही हक मिलेंगे जो विक्रेता के थे। विक्रेता का ही हक अपनी जमीन में उत्तर कोदरवाजा निकालने का नहीं था। अतः प्रतिवादीगण को भी कोई हक अपनी दुकान व खरीदशुदा जमीन में उत्तर को दरवाजा भविष्य में निकालने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण गांव में भविष्य में दुकान व खरीदशुदा जमीन का दरवाजा उत्तर को निकालने की कहते हैं। दुकान के उत्तर को कुर्सी मैन रखेंगे, गाडियां रखेंगे, ग्राहकों को रास्ते पर बैठायेंगे। अपना सामान वगैराह रखेंगे। जिसका यह कार्य नया करने का हक प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का नहीं है। वे उत्तर की तरफ वादीगण की निजी खरीदशुदा जमीन पर नया हक पैदा करना चाहते हैं। उक्त कार्य यदि प्रतिवादीगण करेंगे तो वादीगण का रास्ता सिकुड जावेगा। वादीगण के रास्ते के अधिकार समाप्त हो जावेंगे। वादीगण को उनके परिवार की निजता भंग होजावेंगे। उनकी शांति पूर्वक रहने में बाधा हो जावेंगे। यदि प्रतिवादीगण ने दुकान के उत्तर को या खरीदशुदा जमीन का दरवाजा उत्तर को निकाल दिया तो वादीगण को नापूर्ति योग्य हानि हो जावेगी। रास्ते के उपयोग व उपभोग से वादीगण व उनके परिवारजन वंचित हो जावेंगे। वादीगण की घर की औरतें रास्ते से

शांतिपूर्वक आ जा नहीं सकेंगी। रास्ते के उत्तर को वादीगण के मकान हैं, जहां वे परिवार सहित रहते हैं। बाल बच्चे, स्त्रियां हैं। जबकि प्रतिवादीगण के मकान इस जगह से काफी दूर हैं। प्रतिवादीगण की वहां सिर्फ वह दुकान है, जहां चाय बनती है व अन्य सामान बेचते हैं। वहां उनके ग्राहक ही आते हैं। जिसमें शरीफ बदमाश हर प्रकार के होते हैं। उत्तर को रास्ते के कौने पर यदि उन्होंने रास्ता निकालकर रास्ते पर कार्य करना शुरू किया व ग्राहकों को बैठाना प्रारम्भ किया तो वादीगण का अपने मकानों पर सडक से आने का रास्ता अवरूद्ध हो जावेगा। प्रतिवादीगण को वादीगण की निजी जमीन के रास्ते में व्यवधान डालने या उपयोग उपभोग का अधिकार नहीं है। वे नया हक वादीगण की जमीन में कायम करना चाहते हैं। जिसका उन्हें कोई हक नहीं है। बिनायदावी वादीगण के पक्ष में दिनांक 08.07.2015 को नया दरवाजा निकालने की कहने पर पैदा हुई। दावा अंदर मियाद पेश है जो न्यायालय के श्रवण योग्य है। क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है। मालियत हुक्मईम्नताई के लिए 400 रूपये मय 10 रूपये कोर्टफीस चस्पा है। अंत में वादीगण का वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

2. इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश कर कथन किया कि वादीगण के मकानात एवं उसके सामने रास्ता है। कोई रास्ता वादीगण का निजी रास्ता नहीं है, बल्कि आम रास्ता है जो रास्ता पहले प्रतिवादीगा की दुकान एवं खरीदशुदा प्लॉट के सामने व उसके बाद आगे वादीगण के मकानात में जारी चला आता है जो रास्ता सीसी सडक व नाला मरम्मत पटाव व छत का कार्य ग्राम पंचायत आगर द्वारा निर्मित किया हुआ है। नाला मरम्मत पटाव व सीसी रोड व छत कार्य रामचन्द्र प्रजापत से रामेश्वरनाथ तक ग्राम आगर जिसकी स्वीकृति राशि 113000 रूपये व्यय 107720 रूपये वर्ष 2011–12 सीसी रोड मुख्य सडक से रामचन्द्र प्रजापत तक ग्राम आगर स्वीकृत राशि 80000 रूपये व्यय राशि 78617 रूपये वर्ष 2013–14 जिस रास्ता से अकेले वादीगण का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। वादी ने अकेले का रास्ता बताकर झूठा दावा पेश किया है। हदूद गलत दर्ज की गयी है। वादी ने स्वीकार किया है कि सामने से पहाड का पानी आता है तो नदी नाले पहाड़ो के रास्ते निजी कैसे हो सकते है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2004 में अब्दूलरहमान बनाम भारतसंघ एआइआर प्रकरण मे स्पष्ट निर्देश दिये है कि

नदी नाला पहाड व नदी नालो के रास्ते किसी भी व्यक्ति के निजी नहीं होते है जो रास्ता सी सी सडक व नाला मरम्मत पटाव व छत का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित किया हुआ है। वादीगण ने झूठा दावा झूठी कहानी बनाकर प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। प्रतिवादीगण की दुकान के तरफ उत्तर को दरवाजा व खिडकी वक्त निर्माण से जारी चले आते है। दुकान के पीछे प्रतिवादीगण ने प्लाट खरीद किया है। जिसमे आने जाने का भी तरफ उत्तर की ओर जारी रास्ता ही एक मात्र रास्ता है। प्रतिवादी की खरीद्मुदा प्लाट के उत्तर में रास्ता है और प्लाट मे दरवाजा निकालने का हक अधिकार प्रतिवादीगण को है। प्रतिवादीगण को तरफ उत्तर में दरवाजा खिडकी आदि निकालने से वादी नही रोक सकता। रास्ता आम जनता का आने जाने के उपयोग उपभोग करने का है। रास्ता की तरफ प्रतिवादीगण को अपनी जायदाद में दरवाजा खिडकी आदि निकालने का पूर्ण हक हकूक प्राप्त है। प्रतिवादीगण को अपनी जायदाद में तरफ उत्तर की ओर दरवाजा खिडकी आदि निकालने का पूरा पूरा हक व अधिकार है। रास्ता अकेले वादीगण का नहीं है बल्कि सार्वजनिक आम रास्ता है। रास्ता सार्वजनिक हितो का है जिसमे प्रतिवादीगण व अन्य ग्रामवासी आते जाते है रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी को तरफ उत्तर की ओर रास्ता की ओर दरवाजा जंगला आदि निकालने का पूरा पूरा हक अधिकार प्राप्त है जिसको वादीगण रूकवाने के अधिकारी नहीं है। रास्ता आमद रफत के लिये ही होता है और प्रतिवादीगण रास्ते की ओर दरवाजा निकालकर आमदरफत करने के अधिकारी है। वीदगण को किसी भी तारीख को बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नहीं हुई। वादी ने केवल मात्र दावा की औपचारिकता पूरी करने की नियत से झूठी तारीख अंकित की है। दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। अंत में वादीगण का वाद मय हर्जा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दावा, जबाव दावा, के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2016 को निम्न विवाद्यक विरचित किये गये :—

1. आया वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध इा आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित रास्ता, वादी की निजी जमीन है जिस पर नाला बना है, पर प्रतिवादीगण अपनी दुकान व खरीदशुदा जमीन का दरवाजा ना

निकाले, वादी के उपयोग उपभोग से वंचित ना करें ?

2. आया वादी, प्रतिवादीगा के विरूद्ध इस आशय की आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण द्वारा दौराने दावा दायरी दुकान, जमीन पर उत्तर की तरफ दरवाजा निकाले तो उसे बंद करवाये जाने का अधिकारी है ?

3. आया वादी को कोई बिनायदावी एवं बिनायमुखासमत पैदा नहीं होने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है ?

4. आया वादी का वाद मियाद बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है?

5. अनुतोष

4. उपरोक्त विवाद्यकों के समर्थन में वादीगण की ओर से साक्ष्य में गवाह पी0ड0 1 रामचन्द्र, पी0ड0 2 मूलचन्द, पी0ड0 3 दिनेश के शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श 1, जमाबंदी प्रदर्श 2 पेश कर प्रदर्शित करवाये तथा प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में गवाह पी0ड0 1 राजकपूर, गवाह पी0ड0 2 रामगोपाल, गवाह पी0ड0 3 गिर्राज प्रसाद सोनी के शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 1 सूचना के अधिकार के तहत् ग्राम पंचायत से निकलाई गई नकल पेश कर प्रदर्शित करवाये।

5. उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस वाद में कायम किए गए विवाद्यकों के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष बिंदुवार निम्न प्रकार हैः–

6. <u>**विवाद्यक संख्या 1 व 2**</u>

1. आया वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित रास्ता, वादी की निजी जमीन है जिस पर नाला बना है, पर प्रतिवादीगण अपनी दुकान व खरीदशुदा जमीन का दरवाजा ना निकाले, वादी के उपयोग उपभोग से वंचित ना करें ?

2. आया वादी, प्रतिवादीगा के विरूद्ध इस आशय की आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण द्वारा दौराने दावा दायरी दुकान, जमीन पर उत्तर की तरफ दरवाजा निकाले तो उसे बंद करवाये जाने का अधिकारी

है?

7. उपरोक्त दोनों विवाद्यक एक दूसरे से संबंधित होने के कारण एक साथ निस्तारित किये जा रहे हैं ताकि तथ्यों की पुनरावर्ती ना हो सके। उक्त दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार वादीगण पर था। उक्त विवाद्यकों के संबंध में वादी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि वादीगण के मकान ग्राम आगर तहसील थानागाजी में स्थित हैं। मकानात के सामने रास्ता है जो रास्ते की जमीन वादीगण की निजी खरीदशुदा है जिससे वादीगण के व उनके परिवार वालों के अलावा, अन्य किसी का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। रास्ते के तरफ दक्षिण को नाला है। रास्ता व नाले की जगह, वादीगण की निजी खरीदशुदा है। चूंकि वादीगण के मकान के सामने पहाड का पानी आता है जो मकान वादीगण के सामने भर जाता था। वादीगण ने अपने मकान के सामने पंचायत की मदद से नाला का निर्माण करवाया था। प्रतिवादीगण की दुकान का दरवाजा तरफ पश्चिम को है। तरफ उत्तर को कोई दरवाजा या खिडकी नहीं है। दुकान प्रतिवादीगण की 25 साल से अधिक समय की बनी हुई है। प्रतिवादीगण ने अपनी दुकान के पीछे जमीन खरीदी थी जिसका दरवाजा भी उत्तर की तरफ रहने का हक नहीं है। विक्रेता जिससे प्रतिवादीगण ने जमीन खरीदी है उन्होंने उत्तर को दरवाजा निकालने की इजाजत नहीं दी। प्रतिवादीगण को वही हक मिलेंगे जो विक्रेता के थे। विक्रेता का ही हक अपनी जमीन में उत्तर कोदरवाजा निकालने का नहीं था। प्रतिवादीगण को भी कोई हक अपनी दुकान व खरीदशुदा जमीन में उत्तर को दरवाजा भविष्य में निकालने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण गांव में भविष्य में दुकान व खरीदशुदा जमीन का दरवाजा उत्तर को निकालने की कहते हैं जिसका यह कार्य नया करने का हक प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का नहीं है। वे उत्तर की तरफ वादीगण की निजी खरीदशुदा जमीन पर नया हक पैदा करना चाहते हैं। उक्त कार्य यदि प्रतिवादीगण करेंगे तो वादीगण का रास्ता सिकुड जावेगा। वादीगण के रास्ते के अधिकार समाप्त हो जावेंगे। वादीगण को उनके परिवार की निजता भंग होजावेंगे। उनकी शांति पूर्वक रहने में बाधा हो जावेंगे। यदि प्रतिवादीगण ने दुकान के उत्तर को या खरीदशुदा जमीन का दरवाजा उत्तर को निकाल दिया तो वादीगण को नापूर्ति योग्य हानि हो जावेगी। रास्ते के उपयोग व उपभोग से वादीगण व उनके परिवारजन वंचित हो जावेंगे। वादीगण

की घर की औरतें रास्ते से शांतिपूर्वक आ जा नहीं सकेंगी। रास्ते के उत्तर को वादीगण के मकान हैं, जहां वे परिवार सहित रहते हैं। बाल बच्चे, स्त्रियां हैं। जबकि प्रतिवादीगण के मकान इस जगह से काफी दूर हैं। प्रतिवादीगण की वहां सिर्फ वह दुकान है, जहां चाय बनती है व अन्य सामान बेचते हैं। वहां उनके ग्राहक ही आते हैं। जिसमें शरीफ बदमाश हर प्रकार के होते हैं। उत्तर को रास्ते के कौने पर यदि उन्होंने रास्ता निकालकर रास्ते पर कार्य करना शुरू किया व ग्राहकों को बैठाना प्रारम्भ किया तो वादीगण का अपने मकानों पर सडक से आने का रास्ता अवरूद्ध हो जावेगा। प्रतिवादीगण को वादीगण की निजी जमीन के रास्ते में व्यवधान डालने या उपयोग उपभोग का अधिकार नहीं है। वे नया हक वादीगण की जमीन में कायम करना चाहते हैं। जिसका उन्हें कोई हक नहीं है। जिसके खंडन में प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में यह कथन किया गया है कि वादीगण के मकानात एवं उसके सामने रास्ता है। कोई रास्ता वादीगण का निजी रास्ता नहीं है, बल्कि आम रास्ता है जो रास्ता पहले प्रतिवादीगा की दुकान एवं खरीदशुदा प्लॉट के सामने व उसके बाद आगे वादीगण के मकानात में जारी चला आता है जो रास्ता सीसी सडक व नाला मरम्मत पटाव व छत का कार्य ग्राम पंचायत आगर द्वारा निर्मित किया हुआ है। नाला मरम्मत पटाव व सीसी रोड व छत कार्य रामचन्द्र प्रजापत से रामेश्वरनाथ तक ग्राम आगर जिसकी स्वीकृति राशि 113000 रूपये व्यय 107720 रूपये वर्ष 2011—12 सीसी रोड मुख्य सडक से रामचन्द्र प्रजापत तक ग्राम आगर स्वीकृत राशि 80000 रूपये व्यय राशि 78617 रूपये वर्ष 2013—14 जिस रास्ता से अकेले वादीगण का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। वादी ने अकेले का रास्ता बताकर झूठा दावा पेश किया है। हदूद गलत दर्ज की गयी है। वादी ने स्वीकार किया है कि सामने से पहाड का पानी आता है तो नदी नाले पहाड़ो के रास्ते निजी कैसे हो सकते है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय 2004 में अब्दूलरहमान बनाम भारतसंघ एआइआर प्रकरण में स्पष्ट निर्देश दिये है कि नदी नाला पहाड व नदी नालो के रास्ते किसी भी व्यक्ति के निजी नहीं होते हैं जो रास्ता सीसी सडक व नाला मरम्मत पटाव व छत का कार्य ग्राम पंचायत द्व ारा निर्मित किया हुआ है। वादीगण ने झूठा दावा झूठी कहानी बनाकर प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। प्रतिवादीगण की दुकान के तरफ उत्तर को दरवाजा व खिडकी वक्त निर्माण से जारी चले

आते है। दुकान के पीछे प्रतिवादीगण ने प्लाट खरीद किया है। जिसमे आने जाने का भी तरफ उत्तर की ओर जारी रास्ता ही एक मात्र रास्ता है। प्रतिवादी की खरीद्मुदा प्लाट के उत्तर में रास्ता है और प्लाट मे दरवाजा निकालने का हक अधिकार प्रतिवादीगण को है। प्रतिवादीगण को तरफ उत्तर में दरवाजा खिडकी आदि निकालने से वादी नही रोक सकता। रास्ता आम जनता का आने जाने के उपयोग उपभोग करने का है। रास्ता की तरफ प्रतिवादीगण को अपनी जायदाद में दरवाजा खिडकी आदि निकालने का पूर्ण हक हकूक प्राप्त है।

8. पत्रावली पर अवस्थित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह पी0ड0 1 रामचन्द्र ने अपने शपथ पत्र की ताईद करते हुए अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण अपनी दुकानों का रास्ता उसके निजी रास्ते में निकालना चाहते हैं। उसने निजी रास्ते के स्वामित्व बाबत् कोई कागज पेश नहीं किये हैं। यह बात सही है कि रास्ता 15–20 फुट चौडा है। उसके घर पर बडे ट्रक उसके खुद के आते हैं व उसके ट्रेक्टर भी इसी रास्ते से आते हैं। यह बात सही है कि ट्रक व ट्रेक्टर आने वाली बात उसने दावे में नहीं लिखवाई है। इस रास्ते का निर्माण उसने खुद ने करवाया है। यह बात सही है कि रास्ते के निर्माण बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। इस रास्ते का 8 से 9 फुट का उसने निर्माण करवाया है। इसे 40 साल बाद में ग्राम पंचायत ने रास्ते का निर्माण करवाया था। यह बात सही है कि सीसी रोड का निर्माण ग्राम पंचायत ने करवाया था। लागत कितनी लगाई इसकी जानकारी उसे नहीं है। उसके द्व ारा इस रास्ते में कोई काम करने की मजदूरी उसने ग्राम पंचायत से नहीं ली और ना ही उक्त रास्ते में उसने कोई काम किया है। यह बात सही है कि प्रतिवादीगण की दुकानों का निकास थानागाजी से प्रतापगढ मुख्य सडक पर खुलता है। यह बात सही है कि प्रतिवादीगण की दुकानों के पीछे प्रतिवादीगण का सटवा भूखण्ड है। यह कहना गलत हैं कि उक्त भूखंड की कोई सीमा विवादित रास्ते से नहीं लगती है। यह बात सही है कि रास्ते की जगह पहले पानी का नाला था जो पानी पहाड से आता था। यह कहना गलत है कि विवादित रास्ता सरकारी हो एवं उसमें वह अपने वाहन खडे करने के लिए पार्किंग के रूप में उपयोग उपभोग करता हो। इसी क्रम में गवाह पी0ड0 2 मूलचन्द द्वारा अपने शपथ पत्र की ताईद में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा की

गई जिरह में यह कथन करता है कि यह बात सही है कि उसका मकान विवादित रास्ते से एक किलोमीटर दूर है। वह विवादित रास्ते पर स्थित जोगियों की दुकान पर सुबह शाम बैठता है। यह बात सही है कि प्रतिवादीगण की दुकान विवादित रास्ते पर है। दुकानों के पीछे भूखंड हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना गलत है कि विवादित रास्ते का निर्माण ग्राम पंचायत आगर द्वारा सन् 2011—12 में करवाया गया हो बल्कि कुम्हारों ने करवाया था। यह बात सही है कि विवादित रास्ते से नीचे से होते हुए पहाड से नाला आता है जिसमें पहाड का पानी आता है जो आज भी आता है। यह बात सही है कि नाले नदी वगैरा को कोई भी नहीं खरीद सकता। इसी क्रम में गवाह पी0ड0 3 दिनेश ने अपने शपथ पत्र की ताईद में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि विवादित स्थल उनके समाने ही रोड के दूसरी तरफ है जो 100 मीटर की दूरी पर है। वादीगण के मकानों के सामने जो रास्ता है जो वादीगण का निजी रास्ता है जिसमें सीसी रोड पंचायत ने नहीं डलवाया बल्कि वादीगण ने डलवाया है। अज खुद कहा कि वह नहीं बता सकता है कि वह नहीं बता सकता है कि सीसी रोड पंचायत ने डलवाया या स्वयं ने डलवाया। विवादित स्थल में गिर्राज सोनी की दुकान के पीछे भूखंड उसी का है। यह बात सही है कि विवादित स्थल के पास जो नाला है उसमें पहाड का पानी आता है। नाला दुर्गाप्रसाद की जमीन में ही है। नाला का निर्माण पंचायत ने करवाया है। रामचन्द्र अपने प्लॉट पर जाता है तो वादी के रास्ते से जाता है।

9. उपरोक्त कथनों के खंडन में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह डी0ड0 1 राजकपूर को परीक्षित करवाया है तथा उक्त गवाह ने अपने शपथ पत्र की ताईद में अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया है कि उसके छोटे भाई गिर्राज के नाम भूखंड है जो दुर्गाप्रसाद से खरीदा है जिसमें एक दुकान पश्चिम देखती है पीछे भूखंड खाली है। दुकान के दूजी में नाला है जो पूर्व पश्चिम लंबाईका है। जिसके बाद सीसी रोड 10 फुट चौडा है जो वादीगण के मकान तक जाता है। भूखंड ने दुकान की लंबाई पूर्व पश्चिम 32 व उत्तर दक्षिण 9 फुट है। नाले के उपर पहले से रास्ता है। यह कहना सही है कि नाला ग्राम पंचायत द्वारा बनाया हुआ है। यह कहना गलत है कि दुकान के पास दक्षिण में कोई रास्ता नहीं हो। बल्कि नाले के उपर से

भूखंड में जाता है। यह कहना गलत है कि दुकान के बगल में कोई रास्ता हो। भूखंड में उन पांच भाईयों का हिस्सा है। दुकान केवल गिर्राज के नाम है। इसी क्रम में गवाह डी0ड0 2 रामगोपाल द्वारा अपने शपथ पत्र की ताईद में अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया है कि भूखंड पूर्व से पश्चिम 32 फुट है जिसकी चौडाई उत्तर से दक्षिण 9 फुट है जिसमें 15 फुट में दुकान बना रखी है बाकि में चार दीवारी बना रखी है। गिर्राज की दुकान पश्चिम में देखती है जिसमें चाय की दुकान करते हैं। दुकान के सटवा नाला है जो पंचायत ने बनाया है। बाद नाला रास्ते की चौडाई 15 फुट है जो सी सी रोड है। सी सी रोड रामचन्द्र के मकानों में जा रहा है। भूखंड अकेले गिर्राज का है। भूखंड कब और कितनी राशि में खरीदा गया था जिसकी जानकारी उसे नहीं है। इसी क्रम में गवाह डी0ड0 3 गिर्राज प्रसाद सोनी ने अपने शपथ पत्र की ताई में यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि दुकान व भूखंड व दुकान उसके स्वयं के हैं। उसकी दुकान पूर्व की ओर देखती है। उसकी चाय की दुकान है। उसका भूखंड उसकी दुकान के पीछे है। यह कहना सही है कि दुकान के पास से एक गली जाती है जिससे होकर वह भूखंड में जाता है। भूखंड व दुकान दोनों उसके स्वयं के नाम हैं। रास्ते के पास नाला है। जो नाला पंचायत में बनाया है व रास्ता भी पंचायत ने बनाया है। यह कहना गलत है कि वादीगण की सहमती से ग्राम पंचायत ने नाला व सीसी रोड बनाया है। नाला व सीसी रोड में कितनी लागत लगी थी उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि भूखंड व दुकान उन पांचों भाईयों की साझे की है। दुकान व भूखंड दोनों की लंबाई उत्तर से दक्षिण 32 फुट है फिर कहा कि 9 फुट है व भूखंड व दुकान की चौडाई पूर्व से पश्चिम 32 फिट है। फिर कहा कि 9 फुट है। यह कहना सही है कि उसके भूखंड व दुकान के चार दीवारी बन रही है। यह कहना सही है कि रास्ता रामचन्द्र के मकान से होता हुआ आगे जाता है। यह कहना गलत है कि वादीगण ने जमीन लक्ष्मी व दुर्गा प्रसाद से खरीदी हो।

10. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण से न्याायलय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि गवाह पी0ड0 1 रामचन्द्र अपनी जिरह में यह कथन करता है कि प्रतिवादीगण अपनी दुकानों का रास्ता उसके निजी रास्ते में निकालना चाहते हैं परन्तु उक्त गवाह इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि उसने निजी रास्ते के स्वामित्व बाबत् कोई कागज पेश नहीं किये हैं। उक्त

गवाह द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि रास्ता 15–20 फुट चौडा है तथा उसके घर पर बडे ट्रक उसके खुद के आते हैं व उसके ट्रेक्टर भी इसी रास्ते से आते हैं परन्तु उक्त गवाह द्वारा इस बात को भी स्वीकार करता है कि ट्रक व ट्रेक्टर आने वाली बात उसने दावे में नहीं लिखवाई है। उक्त गवाह इस बात को स्वीकार करता है कि इस रास्ते का निर्माण उसने खुद ने करवाया है परन्तु उक्त गवाह इस बात को भी स्वीकार करता है कि रास्ते के निर्माण बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। इस रास्ते का 8 से 9 फुट का उसने निर्माण करवाया है। इसे 40 साल बाद में ग्राम पंचायत ने रास्ते का निर्माण करवाया था। उक्त गवाह द्वारा इस बात को स्वीकार करता है कि सीसी रोड का निर्माण ग्राम पंचायत ने करवाया था परन्तु गवाह पी0ड0 2 मूलचन्द द्वारा अपनी जिरह में इस बात से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है कि विवादित रास्ते का निर्माण ग्राम पंचायत आगर द्वारा सन् 2011–12 में करवाया गया हो बल्कि कुम्हारों ने करवाया था। इस संबंध में गवाह पी0ड0 3 दिनेश विरोधाभासी कथन करता है कि सीसी रोड पंचायत ने नहीं डलवाया बल्कि वादीगण ने डलवाया है जबकि वादी स्वयं अपनी जिरह में यह कथन करता है कि सीसी रोड का निर्माण पंचायत द्वारा करवाया गया था। फिर उक्त गवाह द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वह नहीं बता सकता है कि सीसी रोड पंचायत ने डलवाया या स्वयं ने डलवाया। ऐसे में वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में जो भी कथन किये गये हैं उनमें गंभीर विरोधाभास उत्पन्न होना प्रतीत होता है तथा उक्त गवाहान द्वारा एक दूसरे के कथनों का ही खंडन किया गया है जिससे उक्त गवाहान की गवाह पूर्ण व विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है तथा वादीगण द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उससे भी यह साबित नहीं हो पाया है कि उक्त विवादित रास्ता वादीगण का निजी रास्ता है। ऐसे में अपूर्ण साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त दोनों विवाद्यक वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे हैं। ऐसे में विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती हैं।

11. <u>**विवाद्यक संख्या 3 व 4**</u>

3. आया वादी को कोई बिनायदावी एवं बिनायमुखासमत पैदा नहीं होने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है ?

4. आया वादी का वाद मियाद बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है?

12. उक्त दोनों विवाद्यक एक दूसरे से संबंधित होने के कारण एक साथ निस्तारित किये जा रहे हैं ताकि तथ्यों की पुनरावर्ती ना हो सके। उक्त दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त विवाद्यकों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो यह दर्शित होता है कि उपरोक्त विवाद्यक के संबंध में वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण गांव में भविष्य में दुकान व खरीदशुदा जमीन का दरवाजा उत्तर को निकालने की कहते हैं। दुकान के उत्तर को कुर्सी मैन रखेंगे, गाडियां रखेंगे, ग्राहकों को रास्ते पर बैठायेंगे। अपना सामान वगैराह रखेंगे। वे उत्तर की तरफ वादीगण की निजी खरीदशुदा जमीन पर नया हक पैदा करना चाहते हैं। उक्त कार्य यदि प्रतिवादीगण करेंगे तो वादीगण का रास्ता सिकुड जावेगा। वे नया हक वादीगण की जमीन में कायम करना चाहते हैं। जिसका उन्हें कोई हक नहीं है। बिनायदावी वादीगण के पक्ष में दिनांक 08.07.2015 को नया दरवाजा निकालने की कहने पर पैदा हुई। दावा अंदर मियाद पेश है जो न्यायालय के श्रवण योग्य है। जिसके खंडन में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे यह साबित हो सके कि वादी को कोई बिनायदावी एवं बिनाय मुखास्मत पैदा नहीं हुई हो व वादी का वाद मियाद बाहर हो। ऐसे में उपरोक्त दोनों विवाद्यक साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

13. **<u>अनुतोष :</u>** उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध तथा विवाद्यक संख्या 3 व 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई है। चूंकि विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहा है एवं विवाद्यक संख्या 3 व 4 प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में पक्षकारान को कोई अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

::– **<u>आदेश</u>** ::–

14. एतद्द्वारा वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान

अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश, थानागाजी
जिला – अलवर

15. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश, थानागाजी
जिला – अलवर